**हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अन्तर्गत विवाह विच्छेदन हेतु याचिका**

**(Petition u/'sec. 13 of the Hindu Marriage Act, 1955 for a decree of divorce)**

न्यायालय..........

बाद नंबर ............ सन् ...

अ०व०स० ............. वादी

**बनाम**

स०द० फ० ............ प्रतिवादी

श्रीमान जी,

उपरोक्त याची निम्न प्रकार सविनय निवेदन करता है :

1. यह कि याची का विवाह उत्तरदाता से हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दिनांक ........... में हुआ था।
2. यह कि............. में याची और उत्तरदाता पति/पत्नी के रूप में रहे थे।
3. यहाँ पर विवाह विच्छेदन (तलाक) स्पष्ट के आधार दर्ज करें।
4. यह कि विवाह के तीन वर्ष बाद यह याचिका दायर की जा रही है जिसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ है। यदि विलम्ब हुआ हो तो स्पष्टीकरण दिया जाये।
5. यह कि याची और उत्तरदाता के मध्य कोई दुरभि सन्धि अथवा मौन सहमति नहीं है और प्रतिवादी के कृत्यों की कोई क्षमा याचना भी नहीं हुई है। और न ही याची किसी प्रकार से उसके कृत्यों में सहायक है।
6. यह कि इस मान्य न्यायालय के सम्मुख कोई न्यायिक आधार अन्तोष और तलाक का डिक्री पारित करने से इन्कार करने का नहीं है।
7. यह कि बाद का हेतुक दिनांक ............. को इस मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में तब उत्पन्न हुआ जब दिनांक ........... (बाद हेतुक के आधारों का वर्णन करें।
8. यह कि याचिका का मूल्यांकन न्याय क्षेत्र के वास्ते रु० ..... न्याय शुल्क भुगतान की गई है।

.............. है जिस पर रु० अत: सविनय प्रार्थना है कि विवाह विच्छेदन की डिक्री याची के हित में पारित की जाये।

**.........(याची)**

**............शनाख्न अधिवक्ता**

**सत्यापन**

आज दिनांक ............ को स्थान ........... पर सत्यापित किया जाता है कि याचिका के प्रस्तर ......... लगायतः .......... मेरे व्यक्तिगत ज्ञान में सत्य हैं और प्रस्तर ....... लगायत....... व्यक्तिगत परामर्श पर है जिसे सत्य होने का मैं विश्वास करता हूँ ........

**.............. याची**

.**............शनाख्न अधिवक्ता**

**नोट** - .......... जारकर्म के आधार पर याचिका में उस व्यक्ति को पक्षकार बनाया जाये जा उत्तरदाता के साथ जारकर्म में लिप्त है ।।